

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)-03/2025 63 (बजट) खाद्य, पटना/दिनांक 23/02/2026

प्रेषक,

मो0 नैययर इकबाल,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोष आयोग- नालंदा, औरंगाबाद, वैशाली, मुंगेर, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), सिवान, गोपालगंज एवं भोजपुर (आरा), बिहार।

विषय:- मुख्य शीर्ष-3456 सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 0003 जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण) मांग सं0-18 विपत्र कोड 18-3456000010003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु कुल 36,33,000/- (छत्तीस लाख तैंतीस हजार) रुपये मात्र का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक-2561/वि0 दिनांक-17.04.1998, पत्रांक-227/वि0 दिनांक-28.03.2025, पत्रांक-235/वि0 दिनांक-01.04.2025 एवं पत्रांक-600/वि0 दिनांक-06.08.2025 में निहित निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत संलग्न तालिका 'क' एवं 'ख' के अनुसार मदवार कुल 36,33,000/- (छत्तीस लाख तैंतीस हजार) रुपये मात्र कॉलम 5 के अनुसार आवंटित किये जाते हैं :-

तालिका

क्र0	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	बजट उपबंध	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	01-वेतन	01 वेतन	17,09,86,000	1652000
		02 विशेष वेतन	68,49,000	153000
		03 जीवन यापन भत्ता	12,12,78,000	583000
		04 मकान किराया भत्ता	2,43,36,000	76000
		05 परिवहन भत्ता	66,55,000	222000
		06 चिकित्सा भत्ता	24,48,000	33000
		07 अन्य भत्ता	27,90,000	153000
	योग-18-3456.00.001.0003.01-वेतन		33,53,42,000	2872000
2	06 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	8,50,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति		8,50,000	00
3	11 यात्रा व्यय	01 यात्रा व्यय	65,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.11-यात्रा व्यय		65,00,000	00
4	13 कार्यालय व्यय	01 कार्यालय व्यय	44,50,000	1,80,000
		02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	9,50,000	00
		03 दूरभाष	18,00,000	1,00,000
		04 विद्युत प्रभार	28,00,000	15,000
		05 विधि प्रभार	5,00,000	00
		06 वर्दी/पोशाक	00	00
		07 विद्युत प्रभार डी0पी0एस0	4,00,000	2,25,000
		10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	5,50,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.13-कार्यालयी व्यय		1,14,50,000	5,20,000

05	14 किराया दरें और कर	01 किराया महसूल एवं कर	1,29,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.14-किराया दरें और कर		1,29,00,000	00
06	20 अन्य प्रशासनिक व्यय	02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	25,000	00
		03 प्रशिक्षण व्यय	8,50,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.20-अन्य प्रशासनिक व्यय		8,75,000	00
07	21 सामग्री और आपूर्ति	01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	4,16,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.21-सामग्री और आपूर्ति		4,16,000	00
08	26 विज्ञापन और प्रकाशन	01 विज्ञापन और प्रकाशन	65,00,000	50,000
	योग-18-3456.00.001.0003.26-विज्ञापन और प्रकाशन		65,00,000	50,000
09	28-व्यावसायिक सेवाये	02 संविदा सेवाये	5,80,00,000	1,91,000
	योग-18-3456.00.001.0003.28 व्यवसायिक सेवाये		5,80,00,000	1,91,000
10	51 मोटर वाहन	01 मोटरगाडी कार्यालय	1,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.51-मोटर वाहन		1,000	00
11	52 मशीनें एवं उपस्कर	02 मशीनें एवं उपस्कर-अन्य	1,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.52-मशीनें एवं उपस्कर		1,000	00
	कुल योग-18-3456.00.001.0003-जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण)		43,28,35,000	36,33,000

2. कुल 36,33,000/- (छत्तीस लाख तैंतीस हजार) रुपये मात्र का आवंटन इस आवंटनादेश से निर्गत किया जा रहा है जिसकी विवरणी 'क' एवं 'ख' में निम्नवत् है :-

: क :

क्र0	जिला कार्यालय का नाम	वेतन	विशेष वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, औरंगाबाद	1000	1000	1000	1000	1000	1000	3000	9000
2	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सिवान	1000	1000	1000	1000	200000	1000	150000	355000
3	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गोपालगंज	250000	50000	180000	3000	10000	10000	00	503000
4	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, मुंगेर	900000	100000	400000	70000	10000	20000	00	1500000
5	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, भोजपुर (आरा)	500000	1000	1000	1000	1000	1000	00	505000
	कुल योग:-	1652000	153000	583000	76000	222000	33000	153000	2872000

: ख :

क्र	जिला कार्यालय का नाम	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	विद्युत प्रभार	विद्युत प्रभार डीएफएफ	विज्ञापन और प्रकाशन	सामग्री पूर्तियाँ	संविदा सेवाएँ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नालन्दा	00	00	00	00	00	50000	00	00	50000
2	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, वैशाली	00	50000	00	00	00	00	00	100000	150000
3	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	00	00	00	5000	115000	00	00	00	120000
4	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, औरंगाबाद	00	50000	00	10000	40000	00	00	00	100000
5	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गोपालगंज	00	30000	00	00	00	00	00	91000	121000
6	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, मुंगेर	00	50000	100000	00	70000	00	00	00	220000
	कुल :-	00	180000	100000	15000	225000	50000	00	191000	761000

3. राशि की निकासी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्षों द्वारा एवं उनकी अनुपस्थिति में जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

4. राशि की निकासी पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निर्देश के आलोक में की जायेगी। गलत एवं अधिक निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

5. संविदा पर नियोजित कर्मियों का मानदेय व्यावसायिक सेवाएँ अन्तर्गत संविदा सेवाएँ मद से देय होगी। बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के मानदेय की राशि इस आवंटन में सम्मिलित है।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तिथि तक इकाईवार व्यय प्रतिवेदन निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
7. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में होने वाले पूर्ण व्यय का आकलन करते हुए पूर्व में प्रेषित विभागीय पत्र के आलोक में दिये गये एवं दिये जा रहे आवंटन के अतिरिक्त यदि और राशि की आवश्यकता हो तो पूर्ण औचित्य के साथ इकाईवार विस्तृत विवरणी सहित राशि की अधियाचना उपलब्ध करायी जाय।
9. इस आवंटन में सदस्यों के मानदेय की राशि भी सम्मिलित है।
10. इस आवंटन से स्वीकृत बल के आलोक में कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों को ही नियमतः भुगतान किया जाय।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)-03/2025 63(बजट) खाद्य, पटना / दिनांक 20/2/26 23/02/26
प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)-03/2025 63(बजट) खाद्य, पटना / दिनांक 20/2/26 23/2/2026
प्रतिलिपि:-सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)-03/2025 63(बजट) खाद्य, पटना / दिनांक 20/2/26 23/02/2026
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, (बजट शाखा), बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/सचिव कोषांग, आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव ।

20/2/26